कॉरेस्पॉन्डेंट, सेन्ट माइकल'ज टी. टी. आई.

बनाम

वी. एन. कारपागा मैरी व अन्य

(सिविल अपील सं. 2960,2008)

अप्रेल 24, 2008

[एस. बी. सिन्हा और लोकेश्वर सिंह पांटा, न्यायाधिपतिगण]

सेवा कानून-समाप्ति-शिक्षक के पद हेतू योग्यता बढाने का सरकारी आदेश- इसके संदर्भ में शिक्षक संस्थान द्वारा 17 वर्ष पहले नियुक्त शिक्षक की सेवाओं को समाप्त करना- चुनौती की- उच्च न्यायालय द्वारा समापन आदेश को खारिज किया गया और बकाया वेतन प्रदान किया- की शुद्धता - आयोजित- नियुक्ति के समय शिक्षक अपेक्षित योग्यता रखता था- नियुक्ति स्थायी आधार पर थी और कर्मचारी एक नियमित शिक्षक था, इस प्रकार जी.ओ. के आधार पर समापन नहीं किया जा सकता था चूंकि आदेश को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकत- साथ ही सरकार द्वारा जी.ओ. के सन्दर्भ में वैध रूप से नियुक्त कर्मचारियों की सेवा समाप्ति के कोई निर्देश नही- संस्थान रिट क्षेत्राधिकार के प्रति उत्तरदायी है। उच्च न्यायालय को समाप्ति आदेश रदद करने और बकाया वेतन प्राप्त करने का क्षेत्राधिकार था- फिर भी, मामले के तथ्यों व परिस्थितियों में बकाया वेतन को 75 प्रतिशत घटाया गया- तमिलनाडु मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय

(विनियमन) नियम, 1974- भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 12 और 226

प्रत्यर्थी अपेक्षित योग्यता रखता था व उसकी 1977 में अपीलार्थी संस्थान में शिक्षक के रूप में नियुक्ति हुई थी। सरकार के आदेश दिनांक 16.9.1994 से विद्यालय में शिक्षक पद की भर्ती हेतू अपेक्षित योग्यता को बढाया गया। इसके पश्चात, जी. ओ. के संदर्भ में प्रत्यर्थी की सेवाएं समाप्त कर दी गयी। प्रत्यर्थी ने समाप्ति आदेश को चुनौती दी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा समाप्ति आदेश को रद्द कर दिया व बकाया वेतन प्रदान किया। यह पाया गया कि राज्य द्वारा प्रत्यर्थी की सेवा समाप्ति के आदेश जारी नही किये गये। इस आधार पर अपीलार्थी संस्थान को प्रत्यर्थी जो कि1977 से विद्यालय में कार्यरत था, को रोजगार देने से इनकार न करने हेतू निर्देशित किया गया। उच्च न्यायालय की खंडपीठ,के समक्ष प्रत्यर्थी के बकाया वेतन के भुगतान व राज्य के अपीलार्थी संस्थान के दायित्व की अपील में खंडपीठ द्वारा एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि की और यह भी अभिनिर्धारित किया कि अपीलार्थी संस्थान शिक्षक को दिए गए वेतन की प्रतिपूर्ति हेतू सरकार को आवेदन कर सकता है। इसलिए वर्तमान अपील।

आंशिक रूप से अपील को स्वीकार करते हुए, न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गयाः

1.1 अपीलार्थी के पास सेवा में प्रवेश के समय अपेक्षित योग्यता थी। राज्य द्वारा शिक्षक हेतू शैक्षणिक योग्यता बहुत बाद में बढाई गई थी अर्थात् वर्ष 1994 में। प्रत्यर्थी को निर्विवाद रूप से स्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। वह नियमित शिक्षिका थी और इस प्रकार कथित जी. ओ. एम. एस. दिनांक 16.9.1994 के आधार पर उसकी सेवाओं को समाप्त करने का सवाल ही नही उठता क्योंकि उसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया था। राज्य ने यह कभी नही कहा कि उक्त जी.ओ.एम.एस. के अनुसार वैध रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाए। [पैरा 11] [1092-ई-जी]

1.2 यह निवेदन कि कुछ आशंका थी कि राज्य द्वारा उक्त संस्थान को दी गयी मान्यता वापिस ली जा सकती है इसे राज्य के समक्ष प्रथमतः ही उठाना चाहिए था। ऐसा करने में विफल रहने पर, फैसले में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई जा सकती। [पैरा 12] [1092-जी, एच; 1093-ए]

1.3 विभिन्न कानूनों के तहत दायर आवेदनों पर विचार करते समय अदालतें अलग अलग न्यायक्षेत्रों का प्रयोग करती है किसी वाद पर विचार करते समय अदालत का क्षेत्राधिकार विशिष्ठ अनुतोष अधिनियम 1963 द्वारा शासित होगा। हालांकि उसमें दिये गये सभी सिद्धांतों को लागू पाया जा सकता है, उक्त प्रावधानों को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत

अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा सख्ती से लागू करने की आवश्यकता नही है। [पैरा 13] [1093-बी, सी]

1.4 यह प्रश्न कि अपीलकर्ता रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी था, विवाद में नहीं है। यदि यह रिट क्षेत्राधिकार के अधीन था, तो उच्च न्यायालय न केवल इस व्याख्या पर सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द करने का हकदार था कि न तो जीओएम के पास कोई पूर्वव्यापी आवेदन था और न ही, किसी भी घटना में, नियुक्ति के मामले में कोई आवेदन था। प्रत्यर्थी को बकाया वेतन भी दिया जाए। उक्त आधार पर, उच्च न्यायालय के पास समाप्ति के आदेश को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र था। एक बार समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया गया, तो उसके तार्किक परिणाम को आमतौर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि लाभ को समग्र रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाए। [पैरा 13] [1093-सी, डी, ई]

1.5 इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, यदि प्रत्यर्थी के सेवा से बाहर रहने की कुल अवधि के लिए बकाया वेतन की मात्रा 75 प्रतिशत तक सीमित कर दी जाए तो न्याय का हित सुरक्षित रहेगा। [पैरा 16] [1095-ए]

पर्लाइट लाइनर (पी) लिमिटेड बनाम मनोरमा सिरसी 2004 (3) एससीसी 172 ; महाप्रबंधक, हरियाणा रोडवेज बनाम रुधन सिंह 2005 (5) एस. सी. सी. 591-द्वारा संदर्भित।

जसबीर सिंह बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक और अन्य। 2007 (1) एस. सी. सी. 566; गंगाधर पिल्लई बनाम साईमेंस लिमिटेड 2007 (1) एससी 533 द्वारा संदर्भित।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील सं. 2960/2008

डबल्यू ए.नं. 2167/2005 में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 24.2.2006 से।

अपीलकर्ता की ओर से रोमी चाको।

एल. एन. राव, जयन्त मुथराज, सी.के. सासी एण्ड वी.जी. परागसम वास्ते प्रत्यर्थीगण।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति एस.बी. सिन्हा द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति प्रदत्त।

2. अपीलार्थी एक सहायता प्राप्त संस्था है। यह तमिलनाडु राज्य द्वारा सहायता प्राप्त है। इसके शिक्षकों के नियम और शर्तें तमिलनाडु मान्यता प्राप्त निजी स्कूल (विनियमन) अधिनियम, 1973 के तहत बनाए गए तमिलनाडु मान्यता प्राप्त निजी स्कूल (विनियमन) नियम, 1974 द्वारा शासित होते हैं।

3. प्रत्यर्थी की नियुक्ति उक्त स्कूल में 11.7.1977 को या उसके आसपास हुई थी। वह मास्टर ऑफ एजुकेशन के साथ-साथ मास्टर ऑफ साइंस में

भी स्नातक थे। उसके पास उक्त पद पर भर्ती के लिए अपेक्षित योग्यता थी।

4. हालाँकि, राज्य ने 16.9.1994 को एक सरकारी आदेश जारी किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ एक शिक्षक की योग्यता बढ़ा दी गई, जिसमें कहा गया:

"एक्सवी कर्मचारी आवश्यकताएँ:

शिक्षण कर्मचारी	योग्यताएं
(बी) विषय शिक्षक	संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री और एम.एड. मान्यता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण अनुभव के साथ डिग्री। तमिल, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को संभालने के लिए चार विषय शिक्षक होंगे। प्रधानाध्यापक पाँच विषयों में से एक को संभालेंगे।

इस दलील पर कि प्रत्यर्थी के पास दिनांक 16.9.1994 के उक्त जीओएम के संदर्भ में अपेक्षित योग्यता नहीं थी, अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 6.1.1995 के एक आदेश द्वारा 22.12.1994 से उसकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।

5. प्रत्यर्थी ने अन्य बातों के साथ-साथ समाप्ति के उक्त आदेश पर सवाल उठाते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका दायर की,

जिसमें कहा गया कि उक्त कथित जीओएम दिनांक 16.9.1994 को पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया जा सकता था।

6. उक्त न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 5.9.2005 के एक आदेश द्वारा समाप्ति के उक्त आदेश को यह कहते हुए रद्द कर दिया कि एक बार नियुक्ति वैध तरीके से की गई थी और शिक्षकों के पास उस समय निर्धारित अपेक्षित योग्यताएं पाई गई थीं। ऐसी नियुक्ति में, योग्यता में संशोधन की अनुमति नहीं होगी ताकि इसे पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जा सके और नियुक्त व्यक्ति के करियर को प्रभावित किया जा सके। अपीलकर्ता संस्थान को रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी माना गया। यह भी पाया गया कि राज्य ने प्रत्यर्थी को सेवा से हटाने के लिए कोई निर्देश जारी नहीं किया था। उक्त निष्कर्षों पर, यह निर्देशित किया गया था:

> "इसलिए, उत्तरदाताओं के लिए गलत व्याख्या अपनाना और 1977 से स्कूल में सेवा दे रहे याचिकाकर्ता को रोजगार से वंचित करना खुला नहीं है। यह ध्यान रखना उचित है कि 1995 के डब्ल्यूपीएमपी नंबर 9628 में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा है 21.4.1995 को ही अंतरिम आदेश जारी किए गए कि यदि तीसरे प्रत्यर्थी ने याचिकाकर्ता के स्थान पर किसी को नियुक्त नहीं किया है तो दो सप्ताह की अवधि के

> लिए कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि उक्त अंतरिम आदेश दिया गया था बाद में खाली कर दिया गया, हालांकि प्रत्यर्थी ने अपने जवाबी हलफनामे में कहा है कि एक योग्य शिक्षक को 23.12.1994 को नियुक्त किया गया था।"

7. उक्त न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष इसके खिलाफ एक अन्तर न्यायालय अपील दायर की गई थी। उक्त पीठ के समक्ष जो प्रश्न उठाया गया था वह प्रत्यर्थी को बकाया वेतन के भुगतान के प्रश्न तक ही सीमित था और क्या राज्य इसके लिए उत्तरदायी है या अपीलकर्ता संस्था। पक्षों की दलीलों को डिवीजन बेंच ने इस प्रकार नोट किया:

> "शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान के अनुसार शिक्षक की सेवाओं की समाप्ति इसलिए की गयी थी क्योंकि सरकार बार बार सरकारी आदेश की सख्ती से पालना करने हेतू लिख रही थी और उनक निर्देशों पर शिक्षक की समाप्ति की थी। विद्वान विशेष सरकारी वकील ने निवेदन किया कि यह ठीक है कि सरकार ने सभी संस्थानों को अनुपालना करने पर जोर दिया था और कोई निर्देश हस्तगत मामले में शिक्षक की सेवा समाप्ति का नही दिया गया था कि सरकारी आदेश की

पालना में पूर्वव्यापी रूप से किसी व्यक्ति के मामले में जो पूर्व से ही सेवा में हो उनके अनुसार चूंकि वह पहले से ही नये शिक्षक की नियुक्ति के खर्चे झेल रहे है। उन पर दो बार बोझ नहीं डाला जा सकता। सरकार का यह भी मामला है कि संस्थान का यह मामला कभी नहीं था कि शिक्षक की सेवाओं को समाप्त करने के लिए सरकार द्वारा कोई विशेष निर्देश जारी किए गए थे; और यदि संस्थान ने कोई ऐसा निर्णय लिया है जो कानून में समर्थित नहीं है, तो यह संस्थान ही है जिसे वित्तीय बोझ उठाना होगा, न कि राज्य को।"

विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से खुद को रोकते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा:

"हालांकि, संस्थान के लिए यह खुला है कि यदि सलाह दी जाए तो वह विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों के अनुपालन में शिक्षक को भुगतान किए गए वेतन की प्रतिपूर्ति के लिए सरकार के पास आवेदन कर सकता है और उसके बाद सरकार को इस संबंध में निर्णय लेना होगा। कोई लागत नहीं। नतीजतन, 2005 का डब्ल्यूएएमपी संख्या 4015 बंद कर दिया गया है।"

8. इस प्रकार, अपीलकर्ता हमारे सामने है।

9. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री रोमी चाको निवेदन किया कि याचिकाकर्ता संस्था भारत के संविधान के अनुच्छेद 12 के अर्थ के तहत एक राज्य नहीं है, इसलिए रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है। इसके अलावा यह तर्क दिया गया कि किसी भी स्थिति में, चूंकि प्रत्यर्थी की बर्खास्तगी का आदेश दुर्भावनापूर्ण नहीं था, उच्च न्यायालय को यह मानना चाहिए था कि वह बकाया वेतन पाने की हकदार नहीं थी और बहाली की राहत प्राप्त करने का कोई कानूनी अधिकार उसके पास निहित नहीं था। इस संबंध में पर्लाइट लाइनर्स (पी) लिमिटेड बनाम मनोरमा सिरसी पर भरोसा रखा गया है [(2004) 3 एससीसी 172]।

10. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील श्री एलएन राव ने आग्रह किया कि अपीलकर्ता ने इस मामले में हस्तक्षेप करने के लिए विद्वान एकल न्यायाधीश के अधिकार क्षेत्र पर सवाल नहीं उठाया है, यह तर्क कि रिट याचिका का मामला सुनवाई योग्य नहीं था उसे पहली बार इस न्यायालय के समक्ष उठाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके अलावा यह आग्रह किया गया कि डिवीजन बेंच के समक्ष दिए गए संबंधित तर्कों को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी के पास कोई वैकल्पिक रोजगार होने का सवाल ही नहीं उठता और न ही उठ सकता है। इस संबंध में जसबीर सिंह बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक और

अन्य [(2007) 1 एससीसी 566]; गंगाधर पिल्लई बनाम सीमेंस लिमिटेड [(2007 (1) एससी 533]; और कुलपति, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्य बनाम श्रीकांत [(2006)11 एससीसी 42] पर मजबूत निर्भरता रखी गई है।।

11. यह न तो संदेह में है और न ही विवाद में है कि अपीलकर्ता के पास सेवा में प्रवेश के समय अपेक्षित योग्यता थी। एक शिक्षक के लिए शैक्षणिक योग्यता को राज्य द्वारा बहुत बाद में, यानी वर्ष 1994 में बढ़ाने की मांग की गई थी। प्रत्यर्थी को, निर्विवाद रूप से, स्थायी आधार पर नियुक्त किया गया था। वह एक नियमित शिक्षिका थीं. यदि वह एक नियमित शिक्षिका थी, तो कथित जीओएम दिनांक 16.9.1994 के आधार पर या उसके आधार पर उसकी सेवाओं को समाप्त करने का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि उसे पूर्वव्यापी प्रभाव नहीं दिया गया था। राज्य ने यह कभी नहीं कहा कि उक्त जीओएम के अनुसार वैध रूप से नियुक्त किये गये कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी जाये।

12. अपीलकर्ता का यह तर्क कि कुछ आशंका थी कि राज्य द्वारा उक्त संस्था को दी गई मान्यता वापस ली जा सकती है, इसे पहले ही राज्य के साथ उठाया जाना चाहिए था। ऐसा करने में विफल रहने पर, हमारी राय में, निर्णय में कोई कानूनी त्रुटि नहीं पाई जा सकती है।

13. पर्लाइट लाइनर्स (पी) लिमिटेड बनाम मनोरमा सिरसी [(2004) 3 एससीसी 142] पर विद्वान वकील द्वारा रखा गया भरोसा उचित नहीं है। विभिन्न क़ानूनों के तहत दायर आवेदनों पर विचार करते समय अदालतें अलग-अलग क्षेत्राधिकार का प्रयोग करती हैं। किसी मुकदमे पर विचार करते समय, अदालत का क्षेत्राधिकार विर्निदिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 द्वारा शासित होगा। हालांकि उसमें निर्धारित सिद्धांत लागू योग्य पाए जा सकते हैं, लेकिन अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते समय उच्च न्यायालय द्वारा उक्त प्रावधानों को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत सख्ती से लागू करने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रश्न कि अपीलकर्ता रिट क्षेत्राधिकार के लिए उत्तरदायी था, विवाद में नहीं है। यदि यह रिट क्षेत्राधिकार के अधीन था, तो उच्च न्यायालय न केवल इस व्याख्या पर सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द करने का हकदार था कि न तो जीओएम के पास कोई पूर्वव्यापी आवेदन था और न ही, किसी भी घटना में, नियुक्ति के मामले में कोई आवेदन था। प्रत्यर्थी को बकाया वेतन भी दिया जाए। उक्त आधार पर, उच्च न्यायालय के पास समाप्ति के आदेश को रद्द करने का अधिकार क्षेत्र था। एक बार समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया गया, तो उसके तार्किक परिणाम को आमतौर पर सुनिश्चित किया जाना चाहिए, बशर्ते कि लाभ को समग्र रूप से या आंशिक रूप से अस्वीकार कर दिया जाए। उपरोक्त स्थिति में, बकाया वेतन देने का प्रश्न उठेगा।

14. देखें : जसबीर सिंह बनाम पंजाब एंड सिंध बैंक एवं अन्य में [(2007) 1 एससीसी 566], इस न्यायालय ने पिछले वेतन, सेवा की निरंतरता और अन्य परिणामी लाभों के साथ सेवा में बहाली का निर्देश दिया। {गंगाधर पिल्लई बनाम सीमेंस लिमिटेड [(2007) 1 एससीसी 533]।

महाप्रबंधक में, हरियाणा रोडवेज बनाम रुधन सिंह [(2005) 5 एससीसी 591], इस न्यायालय ने कहा:

> "8. ऐसा कोई सामान्य नियम नहीं है कि हर मामले में जहां औद्योगिक न्यायाधिकरण यह निष्कर्ष देता है कि सेवा की समाप्ति अधिनियम की धारा 25-एफ का उल्लंघन है, पूरा पिछला वेतन दिया जाना चाहिए। जैसे कई कारक चयन और नियुक्ति की रीति और विधि अर्थात रिक्ति के उचित विज्ञापन के बाद या रोजगार कार्यालय से आवेदन आमंत्रित करने के बाद, नियुक्ति की प्रकृति, अर्थात् तदर्थ, अल्पावधि, दैनिक वेतन, अस्थायी या स्थायी चरित्र, किसी विशेष योग्यता की आवश्यकता है पिछला वेतन देने के संबंध में निर्णय लेते समय नौकरी और उसके जैसी चीजों को तौला और संतुलित किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण कारकों में से एक, जिसे ध्यान में रखा जाना चाहिए वह

सेवा की अवधि है, जो कामगार ने नियोक्ता के साथ प्रदान की थी। यदि कर्मचारी ने काफी लंबी सेवा की है और उसकी सेवा गलत तरीके से समाप्त कर दी गई है, तो उसे इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पूर्ण या आंशिक बकाया वेतन दिया जा सकता है कि उसकी उम्र और उसके पास मौजूद योग्यता के आधार पर वह दूसरा रोजगार पाने की स्थिति में नहीं हो सकता है। हालाँकि, जहां किसी कर्मचारी द्वारा प्रदान की गई सेवा की कुल लंबाई बहुत कम है, वहां पूरी अवधि के लिए बकाया वेतन का पुरस्कार, यानी समाप्ति की तारीख से लेकर पुरस्कार की तारीख तक, जो कि हमारे अनुभव से पता चलता है, अक्सर काफी बड़ा होता है, पूरी तरह से अनुचित होगा। एक अन्य महत्वपूर्ण कारक, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, वह है रोजगार की प्रकृति। स्थायी चरित्र की नियमित सेवा की तुलना अल्प या रुक-रुक कर होने वाले दैनिक वेतन रोजगार से नहीं की जा सकती, भले ही यह एक कैलेंडर वर्ष में 240 दिनों के लिए हो सकती है।"

15. उक्त निर्णय और पर्लाइट लाइनर्स (पी) लिमिटेड बनाम मनोरमा सिरसी मामले में भी निर्णय [(2004) 3 एससीसी 172] को एक अलग तथ्य स्थिति में प्रस्तुत किया गया है, अर्थात्, औद्योगिक विवाद अधिनियम

की धारा 11-ए के तहत श्रम न्यायालय का क्षेत्राधिकार। यह प्रश्न कि औद्योगिक न्यायालय के लिए उक्त अनुतोष देने के लिए प्रासंगिक कारक क्या होंगे, रिट न्यायालय के लिए भी ऐसा ही होना आवश्यक नहीं है। बकाया वेतन के अनुदान के लिए, इस न्यायालय ने कई सिद्धांत निर्धारित किए हैं।

16. हालाँकि, इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, हमारी राय है कि यदि प्रत्यर्थी के सेवा से बाहर रहने की कुल अवधि के लिए बकाया वेतन की मात्रा 75% तक सीमित कर दी जाए तो न्याय का हित सुरक्षित रहेगा।

17. उपर्युक्त सीमा तक अपील की अनुमत की जामी है। यह आदेश इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए पारित किया जा रहा है कि प्रत्यर्थी को पहले ही सेवा में बहाल किया जा चुका है। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, खर्चे के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।

एन.जे.

अपील आंशिक रूप से स्वीकृत।

[यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी अनु चौधरी (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।]

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।